



लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

पत्रांक : 2760/1512/1174/2019

दिनांक: 16-12-2019

(विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र)

लखनऊ-सुल्तानपुर रोड पर मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रा लि० के हाईटेक टाउनशिप "सुशान्त गोल्फ सिटी" के अन्तर्गत मेसर्स आर०आर० सिविलटेक प्रा०लि० द्वारा सेक्टर-आई, ग्रुप हाउसिंग (सेलिब्रिटी मीडोज) के ब्लॉक-ए, टावर-सी के पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु आवेदक श्री राहुल अग्रवाल, आर्कीटेक्ट-श्री अरुण कुमार (CA/76-3111) व स्ट्रक्चर इंजीनियर श्री अशोक कुमार गुप्ता द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र का परीक्षण अवर अभियन्ता श्री शशिभूषण मिश्रा एवं श्री अतुल शर्मा, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम-1973 की धारा-15क(2) के अनुसार निम्न प्रतिबन्धों के अधीन उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० के अनुमोदन दिनांक 27.11.2019 के अनुसार पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है:-

प्रतिबन्ध :

1. नगर निगम/रेजीडेन्ट एसोसिएशन समिति को हस्तान्तरण करने तक भवन के रख-रखाव एवं संयुक्त अवस्थापना सुविधाओं को कियाशील रखने की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
2. अग्निशमन विभाग की अनापत्ति में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों को सदैव पालन करना होगा तथा नियमानुसार अग्निशमन उपकरण के कियाशील होने के सम्बन्ध में अनापत्ति प्राप्त करना होगा।
3. पक्ष द्वारा उ०प्र० अपार्टमेन्ट एक्ट-2010 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
4. आवंटी द्वारा विकास कार्य के सम्बन्ध में कोई शिकायत, कमी या अभाव हो तो समस्त समस्याओं का निराकरण करने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।
5. प्रश्नगत ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड पर समस्त टावरों का निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् अन्तिम रूप से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

हस्ताक्षर

पदनाम अधिकारी... अभियन्ता... (हार्ड/ई० सेल)
कार्यालय मुहर



लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

पत्रांक : 2760/1512/1174/2019

दिनांक: 16-12-2019

(विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र)

लखनऊ-सुल्तानपुर रोड पर मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रा लि० के हाईटेक टाउनशिप "सुशान्त गोल्फ सिटी" के अन्तर्गत मेसर्स आर०आर० सिविलटेक प्रा०लि० द्वारा सेक्टर-आई, ग्रुप हाउसिंग (सेलिब्रिटी मीडोज) के ब्लॉक-ए, टावर-सी के पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु आवेदक श्री राहुल अग्रवाल, आर्कीटेक्ट-श्री अरुण कुमार (CA/76-3111) व स्ट्रक्चर इंजीनियर श्री अशोक कुमार गुप्ता द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र का परीक्षण अवर अभियन्ता श्री शशिभूषण मिश्रा एवं श्री अतुल शर्मा, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम-1973 की धारा-15क(2) के अनुसार निम्न प्रतिबन्धों के अधीन उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० के अनुमोदन दिनांक 27.11.2019 के अनुसार पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है:-

प्रतिबन्ध :

1. नगर निगम/रेजीडेन्ट एसोसिएशन समिति को हस्तान्तरण करने तक भवन के रख-रखाव एवं संयुक्त अवस्थापना सुविधाओं को कियाशील रखने की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
2. अग्निशमन विभाग की अनापत्ति में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों को सदैव पालन करना होगा तथा नियमानुसार अग्निशमन उपकरण के कियाशील होने के सम्बन्ध में अनापत्ति प्राप्त करना होगा।
3. पक्ष द्वारा उ०प्र० अपार्टमेन्ट एक्ट-2010 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
4. आवंटी द्वारा विकास कार्य के सम्बन्ध में कोई शिकायत, कमी या अभाव हो तो समस्त समस्याओं का निराकरण करने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।
5. प्रश्नगत ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड पर समस्त टावरों का निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् अन्तिम रूप से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

हस्ताक्षर

पदनाम अभियन्ता... (प्रा०/ई० सेल)
कार्यालय मुहर



लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

पत्रांक : 2760/1512/11714/2019

दिनांक: 16-12-2019

(विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र)

लखनऊ-सुल्तानपुर रोड पर मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रा0 लि0 के हाईटेक टाउनशिप "सुशान्त गोल्फ सिटी" के अन्तर्गत मेसर्स आर0आर0 सिविलटेक प्रा0लि0 द्वारा सेक्टर-आई, ग्रुप हाउसिंग (सेलिब्रिटी मीडोज) के ब्लॉक-ए, टावर-सी के पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु आवेदक श्री राहुल अग्रवाल, आर्कीटेक्ट-श्री अरुण कुमार (CA/76-3111) व स्ट्रक्चर इंजीनियर श्री अशोक कुमार गुप्ता द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र का परीक्षण अवर अभियन्ता श्री शशिभूषण मिश्रा एवं श्री अतुल शर्मा, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम-1973 की धारा-15क(2) के अनुसार निम्न प्रतिबन्धों के अधीन उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 के अनुमोदन दिनांक 27.11.2019 के अनुसार पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है:-

प्रतिबन्ध :

1. नगर निगम/रेजीडेन्ट एसोसिएशन समिति को हस्तान्तरण करने तक भवन के रख-रखाव एवं संयुक्त अवस्थापना सुविधाओं को कियाशील रखने की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
2. अग्निशमन विभाग की अनापत्ति में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों को सदैव पालन करना होगा तथा नियमानुसार अग्निशमन उपकरण के कियाशील होने के सम्बन्ध में अनापत्ति प्राप्त करना होगा।
3. पक्ष द्वारा उ0प्र0 अपार्टमेन्ट एक्ट-2010 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
4. आवंटी द्वारा विकास कार्य के सम्बन्ध में कोई शिकायत, कमी या अभाव हो तो समस्त समस्याओं का निराकरण करने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।
5. प्रश्नगत ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड पर समस्त टावरों का निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् अन्तिम रूप से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

हस्ताक्षर

पदनाम... (प्रा0/ई0 सेल)
कार्यालय मुहर